राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.6 (206)परि/कर/मु./06 | 2102 जयपुर, दिनांकः– 17.05.2012
22

कार्यालय आदेश 10 /2012

जनलेखा समिति वर्ष 2011–12 के 84 वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 10 (सी.ए.जी. 2004–05 के अनु. सं. 3.8) में निम्न सिफारिश की गई है :–

"अतः समिति सिफारिश करती है कि भविष्य में गैर–अस्थाई अनुज्ञापत्रों के बिना रखे गये यात्री वाहनों की कर वसूली में अधिक सावधानी एवं सतर्कता बरती जाने हेतु निर्देश जारी किये जाये तथा शेष बकाया राशि की वसूली यथा–शीघ्र पूर्ण की जा कर समिति एवं महालेखाकार को अवगत कराया जाये।"

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.5–ए (संशोधन दिनांक 01.09.2005 से) में किये गये प्रावधानों के अनुसार 10 (समस्त) बैठक क्षमता से अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अधीन परमिट अनिवार्य हैं, इसी प्रकार किसी यात्री वाहन को अस्थाई अनुज्ञापत्र स्वीकृति के लिए स्थाई अनुज्ञापत्र का होना आवश्यक हैं, यानि कि वह वाहन स्थाई अनुज्ञापत्र से कवर्ड हो। परन्तु कुछ वाहन निर्धारित अवधि में स्थाई अनुज्ञापत्र नहीं लेते हैं। ऐसे वाहनों का बिना अनुज्ञापत्र संचालित होने की संभावनाएं रहती हैं। अतः ऐसे वाहनों की विशेष निगरानी रखे जाने की आवश्यकता हैं। अतः आप सभी को सख्त व स्पष्ट निर्देश दिए जाते है कि बिना अनुज्ञापत्र चलने वाले ऐसे वाहनों की सख्त चैकिंग की जावे तथा इनके पृथक से जी.आई.आर. खोले जावें। ऐसे वाहनों की कर गणना प्रत्येक माह की 15 तारीख तक की जाकर बकाया वसूली एक सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(दीपक उप्रेती)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ.6 (206)परि/कर/मु./06 जयपुर, दिनांकः– 17.05.2012

प्रतिलिपीः– प्रादेशिक/परिवहन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उप परिवहन आयुक्त (कर)
17/5/2012

D:\Decision Data 20.1.12\Taxation Letter 30.3.2012